राजस्व प्रार्थना पत्र 99/2020
जीसीएमएसम नंबर 2020/00283
नटवर सिंह शेखावत बनाम् सरकार

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जायल (नागौर)

पीठासीन अधिकारी–रवीन्द्र कुमार आर.ए.एस

प्रार्थना पत्र– 99/2020

प्रार्थी–

1. नटवर सिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह जाति–राजपूत , निवासी– झाड़ेली तहसील–जायल , जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थी–

1. सरकार जरिये तहसीलदार जायल।

उपस्थित–

1. अभिभाषक श्री गोविन्दराम ढाका
2. राजपैरोकार (तहसीलदार)

प्रार्थना पत्र अधीन धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम–1956

निर्णय दिनांक :– 21/6/2022

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का सक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह ही है। मगर राजस्व रिकॉर्ड में मौजा छापड़ा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 297 के खसरा नम्बर 131, 137, 131/919 में नाबालिक जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह सरक्षक अन्तर कंवर सहखातेदार दर्ज है, जबकि प्रार्थी के राशन कार्ड संख्या 008267400058, राजस्थान बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 वीं की अंकतालिका सख्या 0412635 , आधार कार्ड संख्या 2601 7306 5114, पेन कार्ड संख्या एमवीआरपीएस5232ए, प्रार्थी के सामान्य जाति प्रमाण पत्र संख्या आरजे14/2017/एमआईएससी तहसील कार्यालय/डिजिटल कास्ट/287 दिनांक 30. 05.2017, 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प शपथ पत्र संख्या एआर579339 क्रम संख्या 1449 दिनांक 21.09.2020 मे प्रार्थी का सही नाम नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह दर्ज हैं। इस गलत इन्द्राज के कारण प्रार्थी को सरकारी मुआवजा व अन्य प्रकार की ऋण सुविधाओं मे परेशानी आने से प्रार्थीको यह प्रार्थना पत्र पेश करना लाजमी आया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन वास्ते जवाबदेही तलब किया गया। जवाबदेही हेतु नियत तारीख पैशी को अप्रार्थी सं. 1 राजपैरोकार ने जवाब जरिये पत्रांक दिनांक 27.04.2022 को मय निरीक्षक भू.अ डेह ने मौका रिपोर्ट के आधार पर प्रस्तुत करते हुये अवगत कराया कि प्रार्थी का नाम मौजा छापड़ा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 297 के खसरा नम्बर 131, 137, 131/919 स्थायी में नाबालिक जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह संरक्षक अन्तर कंवर

21/6/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जबकि प्रार्थी के मौजा छापड़ा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 297 के खसरा नम्बर 131, 137, 131/919 में सहखातेदार के रूप में दर्ज है। प्रार्थी को गांव में वर्तमान में भी जुगल सिंह के नाम से जाना व पुकारा जाता है। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज राशन कार्ड संख्या 008267400058, राजस्थान बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 वीं की अंकतालिका सख्या 0412635 , आधार कार्ड संख्या 2601 7306 5114, पेन कार्ड संख्या एमवीआरपीएस5232ए, प्रार्थी के सामान्य जाति प्रमाण पत्र संख्या आरजे14/2017/एमआईएससी तहसील कार्यालय/डिजिटल कास्ट/287 दिनांक 30.05.2017, 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प शपथ पत्र संख्या एआर579339 क्रम संख्या 1449 दिनांक 21.09.2020 में नाम नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह दर्ज है। प्रार्थी को गांव में बोलचाल में जुगलसिंह के नाम से पुकारने के कारण विरासत के नामान्तकरण को दर्ज करते समय प्रार्थी का नाम जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह दर्ज किया गया था। उपस्थित मौतबिरानों ने जुगलसिंह तथा नटवरसिंह शेखावत दोनों ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बताया तथा वादी की माता अन्तर कवंर के बयानों एवं मौजा झाड़ेली की कृषि भूमि के आधार पर सही किया जाना प्रस्तावित बताया है। ।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में हल्का पटवारी छापड़ा तहसील जायल की रिपोर्ट, राशन कार्ड संख्या 008267400058, राजस्थान बोर्ड अजमेर की कक्षा 10 वीं की अंकतालिका सख्या 0412635 , आधार कार्ड संख्या 2601 7306 5114, पेन कार्ड संख्या एमवीआरपीएस5232ए, प्रार्थी के सामान्य जाति प्रमाण पत्र संख्या आरजे14/2017/एमआईएससी तहसील कार्यालय/डिजिटल कास्ट/287 दिनांक 30.05.2017, 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प शपथ पत्र संख्या एआर579339 क्रम संख्या 1449 दिनांक 21.09.2020 तथा मौजा छापड़ा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 297 के खसरा नम्बर 131, 137, 131/919 की नकल जमाबंदी प्रस्तुत की। साक्ष्य प्रार्थी बन्द की गई तथा पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकील प्रार्थी की सूनी गयी। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान किया तथा राजस्व रिकॉर्ड में मौजा छापड़ा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 297 के खसरा नम्बर 131, 137, 131/919 में प्रार्थी का नाम नाबालिक जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह सरंक्षक माता अन्तर कंवर के स्थान पर नटवरसिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाने का निवेदन किया गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत किये गये दस्तावेज मौजा छापड़ा तहसील जायल के सम्वत् 2073–2076 खतौनी सं. 297 के खसरा नम्बर 131, 137, 131/919 की भूमि जो कि प्रार्थी को पुश्तैनी बडेर की भूमि जो कि विरासत के नामान्तकरण से प्राप्त हुई है तथा सहखातेदार के रूप में दर्ज है। इसी प्रकार राशन कार्ड संख्या 008267400058, राजस्थान बोर्ड अजमेर की

कक्षा 10 वीं की अंकतालिका सख्या 0412635 , आधार कार्ड संख्या 2601 7306 5114, पेन कार्ड संख्या एमवीआरपीएस5232ए, प्रार्थी के सामान्य जाति प्रमाण पत्र संख्या आरजे14 / 2017 / एमआईएससी तहसील कार्यालय / डिजिटल कास्ट / 287 दिनांक 30. 05.2017, 50 रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प शपथ पत्र संख्या एआर579339 क्रम संख्या 1449 दिनांक 21.09.2020 की फोटो प्रति में प्रार्थी नटवरसिंह शेखावत एवं जुगलसिंह एक ही व्यक्ति के नाम होने की सम्पुष्टि होती है तथा अन्त में अप्रार्थी पक्षकार तसहीलदार जायल की जांच रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया यह साबित है कि प्रार्थी का सही नाम जो कि नामान्तकरण के समय नटवरसिंह शेखावत के स्थान पर जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह दर्ज हुआ है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र एल.आर.एक्ट की धारा 136 में कवर नहीं होता है, परन्तु प्रार्थना पत्र में चाही गई इस्तदुआ का निदान (Remedy) भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की सुंसगत धाराओं में नहीं है। प्रार्थी का वास्तविक नाम खातेदार के रूप में दर्ज नहीं होकर बोलता नाम दर्ज हो चुका है जिसका समाधान नहीं होने के कारण प्रार्थीको भारी क्षति हो रही है एवं सरकारी योजनाओं का लाभ महज इसलिए नहीं मिल रहा है कि प्रार्थी का नाम अन्य सरकारी दस्तावेजात् का नाम राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) में दर्ज नाम से समानता नहीं रखता है, जबकि जुगलसिंह एवं नटवरसिंह शेखावत दोनो एक ही व्यक्ति है।

अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 209 में प्रदत्त शक्तियों के तहत स्वतः प्रसंज्ञान से प्रकरण हाजा को धारा 88, 136 का मानते हुये राजस्व रिकॉर्ड (जमाबंदी) मौजा छापड़ा तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 297 के खसरा नम्बर 131, 137, 131 / 919 में दर्ज सहखातेदार नाम नाबालिक जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह संरक्षक जरिये माता अन्तर कवंर के स्थान पर वास्तविक नाम नटवर सिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह दुरूस्त / दर्ज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि वे मौजा छापड़ा तहसील जायल के सम्वत् 2073-2076 खतौनी सं. 297 के खसरा नम्बर 131, 137, 131 / 919 के खेत खसरा नंबर 201 में दर्ज नाम नाबालिक जुगलसिंह पुत्र चुनसिंह संरक्षक जरिये माता अन्तर कवंर के स्थान पर नटवर सिंह शेखावत पुत्र चुनसिंह दुरूस्त किया जाकर रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

यह आदेश आज दिनांक 21/6/2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

21/6/2022

(रवीन्द्र कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर, जायल